क्रम-संख्या—69

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च, 2016
फाल्गुन 28, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–1

संख्या 716 / 33-1-2016–3197 / 2010
लखनऊ, 18 मार्च, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0—194

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 3 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग में सरकार के सचिव और उपनिदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य राज्यपाल से है;	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है;

नियम 4 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नियम 4 में नीचे स्तम्भ—1 में दिए गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1

विद्यमान उप-नियम

4—(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	—	01	01	उपनिदेशक (पंचायत) के सात अस्थायी पद (डेपुटेशन रिजर्व) कार्यालय ज्ञाप संख्या 1025/33-1-2003-57-81 टी०सी०-I, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 से सृजित किये गये।
2	(क) उपनिदेशक (पंचायत)	06	10	16	
	(ख) उपनिदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिजर्व)	—	07	07	
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	48	23	71	

परन्तु:

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

4—(2) जब तक कि उप-नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:—

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ	—	01	01	शासनादेश संख्या—337/33-1-2015-3197/2010, दिनांक 19 मई, 2015 से सृजित
2	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	—	01	01	
3(क)	उप निदेशक (पंचायत)	6	10	16	
3 (ख)	उप निदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिजर्व)	—	07	07	उप निदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिजर्व) के सात अस्थायी पद कार्यालय ज्ञाप संख्या—1025/33-1-2003-57/81टी. सी.-1, दिनांक 22 अप्रैल 2003 से सृजित किये गये।
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	48	27	75	जिला पंचायत राज अधिकारी के चार अस्थायी पद शासनादेश संख्या—3304/33-3-2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 2786/33-1-2010-1896/10, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 से सृजित किये गये।

परन्तु यह कि:—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

4—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिए गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत 5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (1) संयुक्त निदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त उपनिदेशकों (पंचायत), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; (2) उपनिदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; (3) जिला पंचायत राज अधिकारी– **(एक)** पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा; **(दो)** पैंतालिस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह–शिक्षा) और पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; **(तीन)** पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	**भर्ती का स्रोत** 5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (1) अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (2) संयुक्त निदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (3) उप निदेशक (पंचायत) – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला पंचायत राज अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (4) जिला पंचायत राज अधिकारी– **(एक)** पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(दो)** तैंतालीस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह शिक्षा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(तीन)** पाँच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(चार)** दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10–जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	**आयु** 10–सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 17 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नियम 17 में–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान पार्श्व शीर्षक	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व शीर्षक
"चयन समिति के माध्यम से उप निदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया"	"चयन समिति के माध्यम से उप निदेशक (पंचायत), संयुक्त निदेशक (पंचायत) और अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज उ0प्र0, लखनऊ के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया"

(ख) स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
17–(1) सेवा में उपनिदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।	17–(1) सेवा में उप निदेशक (पंचायत), संयुक्त निदेशक (पंचायत) और अपर निदेशक (पंचायत), पंचायती राज मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र में बाहर के पदों के लिए) नियमावली 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
टिप्पणी:–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।	टिप्पणी:–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 20 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा 20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	परिवीक्षा 20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	

नियम 23 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में, नियम 23 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान उप–नियम

23–(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिए गए हैं:–

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1	जिला पंचायत राज अधिकारी	6500–200–10500 रू0
2	उपनिदेशक (पंचायत)	10000–325–15200 रू0
3	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	12000–375–16500 रू0

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम

23–(2) उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिए गये हैं:–

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400/–
2.	उप निदेशक (पंचायत)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600/–
3.	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600/–
4.	अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज लखनऊ, उ0प्र0	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700/–

आज्ञा से,
चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 716 / XXXIII-1-2016-3197-2010 dated March 18, 2016:

No. 716 /XXXIII-1-2016-3197-2010

Dated Lucknow, March 18, 2016

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Serviced, Rules, 2004:

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT
(GROUP 'A' AND 'B') SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' And 'B') Service (First Amendment) Rules, 2015.

2. They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Service Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, for existing clause (b) set out in column-1 below, the clause set out in column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 3

COLUMN-1

Existing clause

(b) 'appointing authority' in respect of the post of District Panchayat Raj Officer means the Secretary to the Government in the, Panchayat Raj Department and in respect of the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat) means the Governor;

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(b) 'appointing authority' means the Governor;

3. In the said rules, in rule 4, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 4

COLUMN-1

Existing sub-rule

(2) The strength of the service and of each category of post therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), be as given below:

Serial no.	Name of Post	Number of Posts			Remarks
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Joint Director (Panchayat)	-	1	1	
2(a)	Deputy Director (Panchayat)	6	10	16	
(b)	Deputy Director (Panchayat Deputation Reserve)	-	07	07	Seven temporary posts of Deputy Director (Panchayat) (Deputation Reserve) have been created vide O.M. No. 1025/33-1-2003-57/81, T.C.I, Dated April 22, 2003
3	District Panchayat Raj Officer	48	23	71	

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), be as given below:

Serial no.	Name of Post	Number of Posts			Remarks
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Additional Director (Panchayat) Head Office Panchayat Raj U.P. Lucknow	-	01	01	Created vide G.O. No. 337/ 33-1-2015-3197/ 2010, Dated May 19, 2015
2	Joint Director (Panchayat)	-	01	01	
3(a)	Deputy Director (Panchayat)	6	10	16	
(b)	Deputy Director (Panchayat Deputation Reserve)	-	07	07	Seven temporary posts of Deputy Director (Panchayat Deputation Reserve) have been created vide O.M. No. 1025/33-1-2003-57/81, T.C.I, Dated April 22, 2003

COLUMN-1

Existing sub-rule

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

4	District Panchayat Raj Officer	48	27	75	Four temporary posts of D.P.R.O. have been created vide G.O. No. 3304/33-3-2011, dated December 22, 2011 and G.O. No. 2786/33-1-2010, 1898/10 Dated September 15, 2010

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation, or,

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Substitution of rule 5

4. In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing sub-rule

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) Joint Director (Panchayat)-By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors (Panchayats) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Deputy Director (Panchayat)-By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed District Panchayat Raj Officers who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) District Panchayat Raj Officer-

(i) Fifty percent by direct recruitment through the competitive examination conducted by the Commission.

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

Source of recruitment

5.Recruitment to the various categories of posts in the service should be made from the following sources:-

(1) Additional Director (Panchayat), Head Office, Panchayatiraj, U.P. Lucknow-By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors (Panchayat) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) Joint Director (Panchayat)-By, promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors (Panchayat) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Deputy Director (Panchayat)-By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed District Panchayat Raj Officers

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(ii) Forty-five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Education) and Panchayat Inspectors (Industries) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.
(iii) Five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(4) District Panchayat Raj Officer- (i) Fifty percent by direct recruitment through the competitive examination conducted by the Commission. (ii) Forty-three percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Development Officers (Panchayat-cum-Education) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. (iii) Five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. (iv) Two percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Panchayat Inspectors (Udyog) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

5. In the said rules, for existing rule 10 setout in column 1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:- *Substitution of rule 10*

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
Age 10. A candidate for direct recruitment to the post of District Panchayat Raj Officer must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:	**Age** 10. A candidate for direct recruitment to the post of District Panchayat Raj Officer must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission.
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

6. In the said rules, in rule 17- *Amendment of rule 17*

(a) for the existing marginal heading setout in column-1 below, the marginal heading as set out is column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 *Existing marginal heading*	COLUMN-2 *Marginal heading as hereby substituted*
"Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee to the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat)"	"Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee to the posts of Deputy Director (Panchayat), Joint Director (Panchayat) and Additional Director (Panchayat), Head Office Panchayatiraj, U.P., Lucknow"

(b) for the existing sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing sub-rule	COLUMN-2 Sub-rule as hereby substituted
(1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Director (Panchayat) and Joint Director (Panchayat) in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE: Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.	(1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Director (Panchayat), Joint Director (Panchayat) and Additional Director (Panchayat), Head Office Panchayati Raj, U.P. Lucknow in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Act, as amended from time to time.

Substitution of rule 20

7. In the said rules, for existing rule 20 setout in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Probation 20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.	Probation (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted: "Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

8. In the said rules, in rule 23, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:- Amendment of rule 23

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows-	(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group 'A' and 'B') Service (First Amendment) Rules, 2015 are given as follows:-

	Name of the post	Scale of Pay
1.	District Panchayat Raj Officer	Rs. 6,500-200-10,500
2.	Deputy Director (Panchayat)	Rs. 10,000-325-15,200
3.	Joint Director (Panchayat)	Rs. 12,000-375-16,500

Serial No.	Name of the Post	Scale of Pay		
		Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1)	District Panchayat Raj Officer	Pay Band-3	15600-39100	5400/-
(2)	Deputy Director (Panchayat)	Pay Band-3	15600-39100	6600/-
(3)	Joint Director (Panchayat)	Pay Band-3	15600-39100	7600/-
(4)	Additional Director (Panchayat) Head Office Panchayatiraj U.P. Lucknow	Pay Band-4	37400-67000	8700/-

By order,
CHANCHAL KUMAR TEWARY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1014 राजपत्र (हि०)–2016–(2363)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 182 सा० पंचायती राज–2016–(2364)–521 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।